[Shri P. Rajeeve]

present, the Kerala State Cooperative Banks (KSCB) alone is depositing its SLR, CRR with RBI securities which comes to Rs. 8,000 crore approximately. That causes a resource drain of Rs. 2,000 crore. If the notification is implemented, the District Cooperative Banks will have to directly deposit its SLR, CRR portion with RBI securities which comes to Rs. 8,000 crore approximately. That will cause a resource drain of Rs. 6,000 crore from the State.

The major drawback of the notification is that there are no operational guidelines along with it. Hence, there is utter confusion as to how it can be implemented without affecting its stakeholders.

So, I urge upon the Finance Minister to intervene and withdraw this RBI notification.

...(Interruptions)...

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVATION AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, nothing will go on record. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already given my ruling. *...(Interruptions)...*

Demand to set up a regulatory authority to protect interests of consumers of the internet shopping and advertisements

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : महोदय, देश भर में बहुत से लोग अलग-अलग सेवाएं देने का काम करते हैं। उन्होंने अपने-अपने केन्द्र, वेबसाइट आदि बना रखे हैं और उनके लिए विज्ञापन देने का काम बहुत बड़ी मात्रा में होता है। उदाहरण के तौर पर शादियां कराने के लिए अलग-अलग शादी ब्यूरो, शादी डॉट काम आदि वेबसाइट्स हैं। इसी तरह क्विकर डॉट कॉम सामान आदि बेचने के लिए एक वेबसाइट है। इस काम में हजारों लोग लगे हैं और लाखों लोग ग्राहक के रूप में उनके पास जाते हैं। क्या सरकार ने ऐसी सेवाओं को शुरू करने के लिए कोई पंजीकरण, कोई कानून, नियम व शर्तें बनाई है? ऐसा देखने में आया है कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग कई बार जनता का बहुत शोषण करते हैं और जनता के लिए इनके खिलाफ शिकायत करने के लिए कोई निश्चित एजेंसी नहीं है। मेरा अनुरोध है कि जो लोग ऐसे व्यवसायों को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, कानून या नियम व शर्तें जरूर बनाई जाएं।

...(Interruptions)...

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश) : सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो पॉइंट रेज किया है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me finish with this first. *...(Interruptions)...*

He raised and whatever has to be expunged, I have expunged also. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...*